

भाग III

हरियाणा सरकार

विकास तथा पंचायत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 मई, 2013

संख्या को०आ० 48/ह०आ० 11/1994/घा० 7 तथा 8/2013.—हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का हरियाणा अधिनियम 11), की धारा 7 की उपधारा (1) तथा (3) तथा धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ग्राम पंचायत रायदासका खण्ड हसनपुर, जिला पलवल के सभा क्षेत्र से गांव बमारियाका के क्षेत्र को निकालते हैं तथा नीचे दी गई अनुसूची के खला 3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को सभा क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं तथा उक्त अनुसूची के क्रमशः खाना 1 तथा 2 में यथावर्णित खण्ड तथा जिले में उक्त सभा क्षेत्र के लिये उक्त अनुसूची के खाना 4 में यथावर्णित नाम से ग्राम पंचायत स्थापित करते हैं; अर्थात् :—

अनुसूची

खण्ड का नाम	जिला	गांव/सभा क्षेत्र का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	2	3	4
हसनपुर	पलवल	बमारियाका (हदबस्त संख्या 136)	बमारियाका

तथापि, गांव बमारियाका के लिये नई ग्राम पंचायत का सृजन इस शर्त के अधीन किया जाता है कि यह पंचायत पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों के समय पर प्रभावी होगी।

शमनिवास,

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
विकास तथा पंचायत विभाग।

[Authorised English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT**  
DEVELOPMENT AND PANCHAYATS DEPARTMENT

**Notification**

The 2nd May, 2013

No. S.O. 48/H.A. 11/1994/Ss. 7 & 8/2013.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (3) of Section 7 and Sub-section (1) of Section 8 of Haryana Panchayati Raj Act, 1994 (Haryana Act 11 of 1994), the Governor of Haryana hereby excludes the area of village Bamariyaka from the sabha area of Gram Panchayat Raidaska, Block Hasanpur, District Palwal and declares the area specified in column 3 of the Schedule given below to be sabha area and establishes Gram Panchayat by the name of Bamariyaka as mentioned in column 4 of the said Schedule for the said sabha areas in block and district as mentioned in columns 1 and 2 respectively of the said Schedule, namely :—

**SCHEDULE**

Name of Block	District	Name of Village/ Sabha Area	Name of Gram Panchayat
1	2	3	4
Hasanpur	Palwal	Bamariyaka (Hadbast No. 136)	Bamariyaka

However, the creation of new Gram Panchayat for the village Bamariyaka shall be subject to the conditions that these Panchayats will be effective at the time of next general elections of Panchayati Raj Institutions.

RAM NIWAS,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Development and Panchayats Department.